



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2011/पौष 13, 1932

No. 4]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2011/PAUSA 13, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2011

का.आ. 4(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित ट्रेलरों के महाराष्ट्र राज्य में पंजीकरण हेतु, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार और-आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है :—

अनुसूची

1. ट्रेलरों की किस्म : स्वतंत्र ट्रेलर
2. स्वामी : मै. परिमियर ट्रांसपोर्ट, प्रा. लि., मुम्बई ।
3. निर्माता : मै. गोल्डहोफर, जर्मनी ।
4. ट्रेलरों की संख्या : तीन
5. ट्रेलरों का वर्णन :

चैसी सं.	धुरियों की संख्या	टायरों की सं., विवरण/आकार	माप (लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई)	खाली वजन (कि.ग्रा.)	प्रति धुरी अधिकतम लदान भार (कि.ग्रा.)	भार/सकल (कि.ग्रा.)
WGOTHPS 82A0031916	8 पंक्ति (2 इन लाइन एक्सल)	64, प्रत्येक पंक्ति में आठ, 215/75 आर × 17.5 TL	15000 मिमि. × 3000 मिमि. × 1175 मिमि.	27,500	26,000	2,08,000
WGOTHPS 46A0033388	4 पंक्ति (2 इन लाइन एक्सल)	32, प्रत्येक पंक्ति में आठ, 215/75 आर × 17.5 TL	9880 मिमि. × 3000 मिमि. × 1175 मिमि.	14,800	26,000	1,04,000
WGOTHPS 43A0033459						

6. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अधीन है :—

- (i) इन ट्रेलरों का कभी-कभार प्रचालन किया जाएगा ।
- (ii) लो. नि. वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी । सुरक्षा

की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झड़ियाँ और बतियाँ लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे हुए वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) सड़क की चौड़ाई में ट्रेलरों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) वाहनों के आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व संबंधित कार्यपालक इंजीनियरों को दी जानी चाहिए और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (vi) ट्रेलरों का अलग पंजीकरण किया जाएगा, न कि संयुक्त रूप से।
- (vii) किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (viii) बड़े आकार के कार्गो को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- (ix) वे राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित गति-सीमा का पालन करेंगे।
- (x) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुंचाए बिना चलाया जाना चाहिए।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति दस कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होगी।
- (xii) ट्रेलरों की सम्पूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत् लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके। इसके अतिरिक्त, माल का बाहरी भाग पूरी तरह से एक लाल परावर्तक/परावर्ती टेप से ढका होना चाहिए ताकि रात्रि के समय बाहरी भाग निर्विघ्न रूप से दिखाई दे।
- (xiii) मै. परिमियर ट्रांसपोर्ट, प्रा. लि., मुम्बई, सड़कों अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों को ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (xiv) मै. परिमियर ट्रांसपोर्ट, प्रा. लि., मुम्बई, ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगे जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xv) मै. परिमियर ट्रांसपोर्ट, प्रा. लि., मुम्बई, ऐसे वाहनों के प्रत्येक बार आवागमन के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।
- (xvi) पंजीकरण प्रमाण-पत्र में एक विशेष प्रविष्टि की जाए कि वाहनों के मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक प्रचालन के लिए संबंधित प्राधिकारी अर्थात् राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करे।

7. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने तथा बिक्री दस्तावेज (बीजक, सभी करों के भुगतान का सबूत) प्रस्तुत करने के बाद ही महाराष्ट्र राज्य में ट्रेलरों का पंजीकरण किया जाएगा।

[फा. सं. आर टी-11042/110/10-एम वी एल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2011

S.O. 4(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-section (3)(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval to the registration in Maharashtra of following trailers with maximum safe laden weight and dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto :—

SCHEDULE

1. Type of trailers : Independent trailers
2. Owned by : M/s. Premier Transport (P) Ltd., Mumbai.
3. Manufactured by : M/s. Goldhofer, Germany.
4. No. of trailers : Three
5. Description of trailers :

Chassis No.	No. of Axles	No., Description, Size of tyres	Measurements (Length × Width × Height)	Unladen Weight (in kgs.)	Maximum Per Axle Load (in kgs.)	Weight/ Gross (kgs.)
WGOTHPS 82A0031916	8 Rows (2 in line axles)	64, eight in each row, 215/75 R 17.5 TL	15000 mm × 3000 mm × 1175 mm	27,500	26,000	2,08,000
WGOTHPS 46A0033388 WGOTHPS 43A0033459	4 Rows (2 in line axles)	32, eight in each row, 215/75 R 17.5 TL	9880 mm × 3000 mm × 1175 mm	14,800	26,000	1,04,000

6. The above relaxation is subject to the conditions that :—

- (i) The operations of the trailer shall be done only sparingly.
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads. Each of such movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicle should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.
- (v) The programme of the movement of the trailer should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.
- (vi) The trailer shall be registered individually and not as a combination.
- (vii) If so directed by the Public Works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (viii) They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (ix) They would adhere to the speed limits prescribed by the authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India.
- (x) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (xi) The maximum speed of the trailer for movement on the road shall not exceed 10 kms./hour.
- (xii) The trailer shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicles clearly. In addition the entire

overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang at night time.

- (xiii) M/s. Premier Transport (P) Ltd., Mumbai, would be liable to pay such amount to the Government of State/ Union Territory/ National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/ other road users/ person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xiv) M/s. Premier Transport (P) Ltd., Mumbai, will observe such restrictions as the State/ Union Territory Government/ National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xv) M/s. Premier Transport (P) Ltd., Mumbai, will give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/ National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (xvi) A specific entry in Registration Certificate is to be made that the trailers owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e. State Government/ Union Territory Government/ National Highway Authority of India.

7. The trailers shall be registered in the State of Maharashtra only subject to fulfilment of conditions laid down under Rule 47 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents (invoice, proof of payment of all taxes).

[F.No. RT-11042/110/10-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.